ISSN: 2582-5526 www.thevoiceofcreativeresearch.com

The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 3 (July 2026)

Peer Reviewed Article

DOI: https://doi.org/10.53032/tvcr/2026.v8n3.14

समावेशी शिक्षा की ओर: NEP 2020, भारतीय सिनेमा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति बदलते सामाजिक दृष्टिकोण

(Towards Inclusive Education: NEP 2020, Indian Cinema, and Changing Social Attitudes towards Children with Special Needs)

सुचिता सिंह चौहान
(शोधकर्ता)
खुन-खुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
Email: singhchauhansuchita@gmail.com

डॉ अनामिका सिंह राठौर
शिक्षा शास्त्र विभाग, खुन-खुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत में समावेशी शिक्षा की दिशा में एक निर्णायक मील का पत्थर है। यह नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016 के अनुरूप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs – CwSN, जिन्हें दिव्यांग भी कहा जाता है) को मुख्यधारा की शिक्षा में समान अवसर देने पर बल देती है। इसी के समानांतर, भारतीय सिनेमा ने पिछले दो दशकों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और व्यक्तियों के चित्रण में उल्लेखनीय बदलाव दिखाया है। तारे ज़मीन पर (2007), पा (2009), बर्फी! (2012), हिचकी (2018), मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ (2014) और हाल की सितारे ज़मीन पर (2025) जैसी फ़िल्मों ने सामाजिक दृष्टिकोण को दया और सहानुभूति से आगे बढ़ाकर स्वीकृति और सशक्तिकरण की दिशा में मोड़ा है। यह शोध पत्र NEP 2020 के प्रावधानों, भारतीय सिनेमा के योगदान और इनके संयुक्त प्रभाव से सामाजिक दृष्टिकोण में हो रहे परिवर्तन का विश्लेषण करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नीति और मीडिया दोनों मिलकर एक समावेशी समाज की नींव रख रहे हैं, परंतु क्रियान्वयन के स्तर पर संसाधनों, प्रशिक्षण और सामाजिक कलंक से जुड़ी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं।

बीज शब्द: समावेशी शिक्षा, NEP 2020, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, भारतीय सिनेमा, सामाजिक दृष्टिकोण, RPwD Act 2016

Abstract
The National Education Policy (NEP) 2020 represents a significant milestone in India's movement towards inclusive education. In accordance with the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, the policy emphasizes providing equal opportunities in mainstream education to Children with Special Needs (CwSN), also referred to as children with disabilities. Parallel to these policy developments, Indian cinema has witnessed a remarkable transformation over the past two decades in its representation of children and individuals with special needs. Films such as *Taare Zameen Par* (2007), *Paa* (2009), *Barfi!* (2012), *Hichki* (2018), *Margarita with a Straw* (2014), and the recent *Sitaare Zameen Par* (2025) have contributed to shifting social attitudes beyond pity and sympathy towards acceptance and empowerment. This research paper analyses the provisions of NEP 2020, the contribution of Indian cinema, and their combined role in transforming social attitudes towards children with special needs. The study reveals that educational policy and media together are contributing to the foundation of a more inclusive society. However, significant challenges related to resources, professional training, implementation, and persistent social stigma continue to remain.

Keywords: Inclusive Education, NEP 2020, Children with Special Needs, Indian Cinema, Social Attitudes, RPwD Act 2016

1. परिचय

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करना भी है। NEP 2020 स्पष्ट शब्दों में कहती है कि शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी उपकरण है। इस दृष्टि से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CwSN) एक ऐसा समूह हैं जो लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था से या तो वंचित रहे हैं या मुख्यधारा से अलग-थलग कर दिए गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 5 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 65 लाख बच्चे किसी न किसी रूप में विकलांगता से प्रभावित हैं, परंतु UDISE+ के आँकड़े बताते हैं कि इनकी वास्तविक नामांकन दर आज भी अपेक्षा से काफी कम है। यह अंतर बताता है कि कानून और नीति के स्तर पर हुई प्रगति अभी ज़मीनी हकीकत में उतनी परिलक्षित नहीं हुई है।

समावेशी शिक्षा का मूल विचार यह है कि विकलांगता वाले और बिना विकलांगता वाले बच्चे एक ही कक्षा में साथ पढ़ें, और शिक्षण-प्रणाली को उनकी विविध आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए—न कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप ढलने के लिए मजबूर किया जाए। RPwD Act 2016 ने इस विचार को पहली बार ठोस कानूनी आधार दिया, और NEP 2020 ने इसे नीतिगत मज़बूती प्रदान करते हुए शिक्षा के हर स्तर पर लागू करने की दिशा तय की।

इसके समानांतर भारतीय सिनेमा समाज की सामूहिक चेतना को आकार देने में एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। दशकों तक फ़िल्मों में विकलांगता को हास्य, दया या करुणा के विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा, जिससे रूढ़ छवियाँ मजबूत हुईं। परंतु पिछले दो दशकों में संवेदनशील और सशक्त चित्रण की एक नई धारा उभरी है, जिसने न केवल कहानी कहने के तरीके को बदला है बल्कि दर्शकों की सोच को भी प्रभावित किया है। यह शोध पत्र इन्हीं दो आयामों—नीति (NEP 2020) और सिनेमा—के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में हो रहे परिवर्तन का समग्र अध्ययन करता है।

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- NEP 2020 के समावेशी शिक्षा संबंधी प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण करना।
- भारतीय सिनेमा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के चित्रण के ऐतिहासिक विकास को रेखांकित करना।

- नीति और मीडिया, दोनों के संयुक्त प्रभाव से सामाजिक दृष्टिकोण में आ रहे बदलाव को समझना।
- क्रियान्वयन की चुनौतियों की पहचान करना और आगे के लिए व्यावहारिक सुझाव देना।

2. साहित्य समीक्षा

समावेशी शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांगजन अधिकार समझौते (UN CRPD, 2006) और यूनेस्को के दस्तावेज़ बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं। भारत में RPwD Act 2016 ने समावेशी शिक्षा को कानूनी रूप से परिभाषित किया—एक ऐसी प्रणाली जिसमें विकलांगता वाले और बिना विकलांगता वाले छात्र साथ-साथ सीखें और शिक्षण-प्रक्रिया को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जाए। इसी आधार पर NEP 2020 के अध्याय 6 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। नीति संसाधन केंद्रों की स्थापना, विशेष शिक्षकों की भर्ती, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, ब्रेल और बड़े अक्षरों वाली पाठ्य-सामग्री, भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) के मानकीकरण तथा बाधा-मुक्त बुनियादी ढाँचे पर विशेष बल देती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

सिनेमा-केंद्रित अध्ययनों में देब (2022) ने हिंदी सिनेमा में बौद्धिक विकलांगता के चित्रण में आए बदलाव को रेखांकित किया है—आरंभ में पात्रों को नैतिक लेबल और दया के दायरे में रखा जाता था, जबकि हाल के वर्षों में अधिक मानवीय, बहुआयामी और यथार्थवादी दृष्टिकोण सामने आया है। ढिल्लों और भट्टाचार्य (2023) का अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि हिंदी सिनेमा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की माँओं को किस तरह चित्रित किया गया है, और यह विश्लेषण स्त्रीवादी दृष्टिकोण से देखभाल के अदृश्य श्रम को उजागर करता है। कुंडु (2025) और एंटनी (2025) के हालिया शोध बताते हैं कि भारतीय सिनेमा धीरे-धीरे विकलांगता को एक 'सामान्यता के भीतर की विविधता' के रूप में प्रस्तुत करने लगा है, न कि किसी अपवाद के रूप में।

तारे ज़मीन पर ने डिस्लेक्सिया के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाई, जबकि बर्फी! और मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ ने अधिक जटिल, व्यक्तिगत और सशक्त चित्रण प्रस्तुत किए। सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के दिशानिर्देशों ने फ़िल्मों में विकलांगता के नकारात्मक या अपमानजनक चित्रण पर रोक लगाने की स्पष्ट बात कही, जो इस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप माना जा सकता है।

समग्र रूप से देखें तो सामाजिक दृष्टिकोण संबंधी शोध यह संकेत देते हैं कि जागरूकता बढ़ाने में सिनेमा और नीति दोनों प्रभावी माध्यम सिद्ध हुए हैं, परंतु व्यावहारिक क्रियान्वयन में संसाधनों की कमी, शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और गहरे बैठे सामाजिक कलंक अभी भी सबसे बड़ी बाधाएँ बने हुए हैं। साहित्य में यह अंतराल भी स्पष्ट दिखता है कि नीति और सिनेमा को अक्सर अलग-अलग विषयों के रूप में अध्ययन किया गया है; दोनों के अंतर्संबंध—अर्थात् किस तरह मीडिया नीति के उद्देश्यों को सामाजिक स्वीकृति दिलाने में मदद करता है—पर पर्याप्त शोध उपलब्ध नहीं है। यही अंतराल इस शोध पत्र का केंद्रीय बिंदु है।

3. शोध पद्धति

यह शोध गुणात्मक और वर्णनात्मक प्रकृति का है, जो दस्तावेज़ विश्लेषण (document analysis) और विषयवस्तु विश्लेषण (content analysis) की पद्धतियों पर आधारित है। प्राथमिक स्रोत के रूप में NEP 2020 का मूल दस्तावेज़, RPwD Act 2016, तथा सरकारी रिपोर्टें (UDISE+, समग्र शिक्षा) और चयनित प्रमुख फ़िल्मों का गहन विश्लेषण किया गया। द्वितीयक स्रोतों में शैक्षिक पत्रिकाएँ, समाचार रिपोर्टें और अकादमिक अध्ययन शामिल हैं।

फ़िल्मों के चयन का आधार दो मुख्य मानदंड रहे—पहला, फ़िल्म का लोकप्रिय और सांस्कृतिक प्रभाव, और दूसरा, विशेष आवश्यकता वाले पात्र का कथा के केंद्र में होना, न कि केवल एक सहायक पात्र के रूप में उपस्थिति। इन मानदंडों के आधार पर तारे ज़मीन पर, पा, बर्फी!, हिचकी, मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ और सितारे ज़मीन पर को विश्लेषण के लिए चुना गया। विश्लेषण में विषयगत विधि (thematic method) का उपयोग करते हुए नीति, सिनेमा और सामाजिक दृष्टिकोण—इन तीनों के अंतर्संबंधों को समझने का प्रयास किया गया, ताकि यह देखा जा सके कि कानूनी-नीतिगत परिवर्तन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति किस तरह एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।

4. NEP 2020 और समावेशी शिक्षा

NEP 2020 समावेशी शिक्षा को केवल विद्यालयों में नामांकन तक सीमित नहीं रखती, बल्कि पूर्ण भागीदारी, सीखने की गुणवत्ता और गरिमापूर्ण शिक्षा के अनुभव पर बल देती है। नीति के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

- समान भागीदारी: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा में शामिल करना; स्कूल कॉम्प्लेक्स-स्तर पर संसाधन केंद्रों की स्थापना और क्रॉस-डिसेबिलिटी प्रशिक्षण प्राप्त विशेष शिक्षकों की भर्ती।
- सहायक तंत्र: सहायक उपकरण, तकनीक-आधारित शिक्षण उपकरण, सुलभ पाठ्य-सामग्री (ब्रेल, बड़े प्रिंट) और भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) का राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण।
- विकल्प की स्वतंत्रता: बेंचमार्क विकलांगता वाले बच्चों को नियमित या विशेष विद्यालय में से चुनने का अधिकार, तथा गंभीर मामलों में होम-बेस्ड एजुकेशन के लिए संस्थागत समर्थन।
- शिक्षक क्षमता निर्माण: सभी शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य करना। NISHTHA जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- बुनियादी ढाँचा: रैंप, हैंडरेल, सुलभ शौचालय, और शैक्षणिक संस्थानों के लिए Accessibility Code का क्रियान्वयन।
- आर्थिक सहायता: समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत CwSN के लिए प्रति बच्चा अनुदान, बालिकाओं के लिए अतिरिक्त स्टाइपेंड, तथा परिवहन व एस्कॉर्ट सुविधाएँ।

UDISE+ 2021-22 के आँकड़ों के अनुसार लगभग 22.66 लाख CwSN विद्यालयों में नामांकित हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है। PRASHAST मोबाइल ऐप शीघ्र स्क्रीनिंग और पहचान में सहायक सिद्ध हो रहा है, जिससे बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की समय पर पहचान संभव हो पाती है। नीति प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) चरण में भी समावेश पर विशेष जोर देती है, ताकि विकासात्मक विलंब या दिव्यांगता की पहचान यथासंभव प्रारंभिक अवस्था में ही हो सके और समय रहते हस्तक्षेप किया जा सके—जो दीर्घकालिक परिणामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इन सकारात्मक प्रयासों के बावजूद, धरातल पर अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कई राज्यों में प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की भारी कमी है; उदाहरण के लिए, ओडिशा में मात्र 11.6 प्रतिशत विद्यालयों में ही विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं। सामान्य शिक्षकों का समावेशी शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण अक्सर सतही और अपर्याप्त रहता है, और सामाजिक कलंक आज भी कई परिवारों को अपने बच्चों को नियमित विद्यालयों में भेजने से रोकता है। यह अंतर स्पष्ट करता है कि नीति की मंशा और उसके ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच एक सतत सेतु बनाने की आवश्यकता है।

5. भारतीय सिनेमा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चित्रण

भारतीय सिनेमा ने सामाजिक दृष्टिकोण को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भूमिका निभाई है।

प्रारंभिक चित्रण: पुरानी फ़िल्मों में विकलांगता को प्रायः हास्य या दया के विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। पात्रों को कमज़ोर, पूर्णतः निर्भर, या कभी-कभी पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा के रूप में दिखाया जाता था, जिससे समाज में गलत धारणाएँ और गहरी होती गईं।

संवेदनशील बदलाव की शुरुआत: तारे ज़मीन पर (2007) ने डिस्लेक्सिया को पहली बार मुख्यधारा के सिनेमा में लाया। इशान अवस्थी का चरित्र यह दिखाता है कि पारंपरिक, एक-आयामी शिक्षा प्रणाली किस तरह भिन्न ढंग से सीखने वाले बच्चों को असफल घोषित कर देती है, जबकि दोष बच्चे में नहीं बल्कि प्रणाली की कठोरता में होता है। इस फ़िल्म ने अभिभावकों और शिक्षकों, दोनों में सीखने की अक्षमताओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने का काम किया।

पा (2009) ने प्रोजेरिया से पीड़ित एक बच्चे के जीवन को केंद्र में रखते हुए पारिवारिक स्नेह, स्वीकृति और मानवीय गरिमा पर बल दिया। बर्फी! (2012) ने बहरे-गूंगे और ऑटिज़्म से जुड़े पात्रों को किसी करुणा-कथा का

विषय बनाने के बजाय एक जीवंत प्रेम कहानी के केंद्र में रखा, जिससे यह फ़िल्म सहानुभूति की सीमा को पार कर सामान्य, सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं—प्रेम, ईर्ष्या, हास्य—को दर्शाने में सफल रही।

हिचकी (2018) में टॉरेट सिंड्रोम से जूझती एक शिक्षिका के संघर्ष और अंततः उसकी व्यावसायिक सफलता को दिखाया गया, जो यह संदेश देती है कि विशेष आवश्यकता किसी की क्षमता या योग्यता की सीमा नहीं बनती। मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ (2014) ने सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त एक युवती की यौनिकता, इच्छाओं और आत्म-स्वीकृति को अत्यंत संवेदनशीलता और साहस के साथ प्रस्तुत किया—यह विषय भारतीय सिनेमा में पहले लगभग अनछुआ ही रहा था। हाल की सितारे ज़मीन पर ने बौद्धिक विकलांगता वाले वास्तविक व्यक्तियों को स्वयं अभिनय करते हुए दिखाया, जो प्रतिनिधित्व (representation) की दृष्टि से एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे कथा पर 'अन्य की दृष्टि' के बजाय 'स्वयं की आवाज़' हावी होती है।

इन फ़िल्मों का समग्र प्रक्षेप-पथ यह दर्शाता है कि भारतीय सिनेमा 'मेडिकल मॉडल' (जिसमें विकलांगता को एक व्यक्तिगत, इलाज योग्य समस्या माना जाता है) से 'सोशल मॉडल' (जिसमें विकलांगता की जड़ें समाज द्वारा खड़ी की गई बाधाओं में देखी जाती हैं) की ओर बढ़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के दिशानिर्देशों ने नकारात्मक शब्दावली, स्टीरियोटाइपिंग और अपमानजनक चित्रण पर स्पष्ट रोक लगाई, जिससे भविष्य में सिनेमा और अधिक जवाबदेह और संवेदनशील बनने की उम्मीद है।

सिनेमा ने डिस्लेक्सिया, ऑटिज़्म, प्रोजेरिया, टॉरेट सिंड्रोम और सेरेब्रल पाल्सी जैसी स्थितियों को लेकर सार्वजनिक चर्चा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके परिणामस्वरूप आज अभिभावक और शिक्षक इन स्थितियों को पहले की तुलना में बेहतर ढंग से समझने और पहचानने में सक्षम हैं, जिससे समय पर हस्तक्षेप और सहयोग की संभावना बढ़ी है।

6. बदलते सामाजिक दृष्टिकोण

पहले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अक्सर परिवार में छिपाया जाता था या उन्हें केवल दया का पात्र माना जाता था। पारिवारिक कलंक, विद्यालयों में प्रवेश से इनकार और सामाजिक अलगाव—ये सभी सामान्य अनुभव थे, जो बच्चे के आत्म-सम्मान और विकास दोनों को गहरे स्तर पर प्रभावित करते थे।

NEP 2020 और सिनेमा के संयुक्त प्रभाव से यह दृष्टिकोण अब धीरे-धीरे बदल रहा है, जिसे निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है:

- जागरूकता: फ़िल्मों ने करोड़ों दर्शकों तक संवेदनशील संदेश पहुँचाया है। तारे ज़मीन पर के प्रदर्शन के बाद कई विद्यालयों में डिस्लेक्सिया की स्क्रीनिंग स्वेच्छा से शुरू की गई, जो सिनेमा के प्रत्यक्ष सामाजिक प्रभाव का प्रमाण है।
- सशक्तिकरण: अब बच्चों को केवल 'विकलांग' के रूप में नहीं, बल्कि 'दिव्यांग'—अर्थात विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों के रूप में देखा जाने लगा है। नीति उन्हें SEDGs में शामिल कर समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
- पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर बदलाव: अभिभावक अब पहले की तुलना में अधिक खुले और सहयोगी हैं। विद्यालयों में समावेशी सह-शैक्षिक गतिविधियों—जैसे खेल, कला और व्यावसायिक शिक्षा—के माध्यम से साथी छात्रों में स्वीकार्यता की भावना भी बढ़ी है।
- कानूनी और नीतिगत समर्थन: RPwD Act और NEP 2020 ने मिलकर दया-आधारित दृष्टिकोण से हटकर अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप से मज़बूत किया है, जिससे समावेशन अब एक 'कृपा' नहीं बल्कि एक 'अधिकार' के रूप में स्थापित हो रहा है।

फिर भी, यह कहना उचित नहीं होगा कि परिवर्तन पूर्ण हो चुका है। ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में सामाजिक कलंक अब भी अपेक्षाकृत अधिक गहरा है, जहाँ जागरूकता और संसाधन दोनों की कमी एक साथ देखी जाती है। विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को लिंग और विकलांगता, दोनों स्तरों पर दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता

है, जिससे उनकी शिक्षा तक पहुँच और भी सीमित हो जाती है। साथ ही, मीडिया में आज भी कभी-कभी 'सुपर-क्रिप' जैसी छवियाँ (अर्थात असाधारण रूप से प्रेरणादायक, लगभग अतिमानवीय दिखाए गए पात्र) या दया-केंद्रित चित्रण देखने को मिलते हैं, जो यथार्थवादी और संतुलित प्रतिनिधित्व की राह में एक चुनौती बने रहते हैं।

7. नीति और सिनेमा का अंतर्संबंध

NEP 2020 और भारतीय सिनेमा एक-दूसरे के पूरक बनकर सामाजिक परिवर्तन को गति देते हैं। जहाँ नीति एक कानूनी और संरचनात्मक ढाँचा प्रदान करती है, वहीं सिनेमा उस ढाँचे को भावनात्मक और सांस्कृतिक स्वीकृति दिलाने का कार्य करता है। फ़िल्में नीति के अमूर्त उद्देश्यों को सरल, भावनात्मक और सुगम्य कहानियों में बदलकर समाज को उनके लिए मानसिक रूप से तैयार करती हैं। उदाहरण के लिए, तारे ज़मीन पर ने प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत सीखने की शैली और आवश्यकता को रेखांकित किया, जो NEP के व्यक्तिगत और लचीले शिक्षण दृष्टिकोण से सीधे मेल खाता है।

इस प्रकार नीति और सिनेमा मिलकर 'सामान्यता' (normalcy) की परिभाषा को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। समावेशी कक्षाएँ जहाँ विविधता को व्यवस्थागत स्तर पर स्थान देती हैं, वहीं संवेदनशील सिनेमा उस विविधता को सांस्कृतिक स्तर पर सामान्य और स्वीकार्य बनाता है। दोनों का यह संयुक्त प्रभाव दीर्घकाल में एक ऐसे समाज की नींव रखता है जहाँ भिन्नता को अपवाद नहीं, बल्कि मानव अनुभव के स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखा जाता है।

8. चुनौतियाँ

अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ सामने आती हैं, जिन्हें समग्र और समन्वित प्रयासों से ही संबोधित किया जा सकता है:

- विशेष शिक्षकों और समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षित सामान्य शिक्षकों, दोनों की भारी कमी।
- बुनियादी ढाँचे (रैंप, सुलभ शौचालय) और सहायक उपकरणों की अपर्याप्त और असमान उपलब्धता, विशेषकर ग्रामीण विद्यालयों में।
- दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा तक पहुँच की गंभीर समस्या।
- परिवार और समुदाय दोनों स्तरों पर व्याप्त सामाजिक कलंक और अपर्याप्त जागरूकता।
- सिनेमा में अब भी कभी-कभी देखा जाने वाला सतही, व्यावसायिक या रूढ़िवादी चित्रण, जो संवेदनशीलता की जगह सहानुभूति के सस्ते भावनात्मक प्रभाव तक सीमित रह जाता है।
- नामांकन, ठहराव और सीखने के परिणामों से जुड़े विश्वसनीय आँकड़ों और सतत निगरानी तंत्र की कमज़ोरी।

9. सुझाव और सिफारिशें

- सभी विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में भर्ती सुनिश्चित करना, साथ ही उनके नियमित, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम (B.Ed./D.El.Ed.) में समावेशी शिक्षा को एक अनिवार्य और व्यावहारिक विषय के रूप में शामिल करना, न कि केवल सैद्धांतिक इकाई के रूप में।
- सिनेमा उद्योग को वास्तविक विकलांग अभिनेताओं और रचनात्मक सलाहकारों के साथ काम करने हेतु प्रोत्साहित करना, ताकि प्रतिनिधित्व अधिक प्रामाणिक , आत्म-अभिव्यक्ति पर आधारित हो।
- समुदाय-स्तर पर निरंतर जागरूकता अभियान चलाना और अभिभावकों के लिए संरचित प्रशिक्षण एवं सहयोग समूह विकसित करना।
- AI-आधारित सहायक उपकरणों, डिजिटल और सुलभ शिक्षण सामग्री का व्यापक और सस्ती दरों पर उपयोग सुनिश्चित करना।
- निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना तथा UDISE+ और PRASHAST जैसे मौजूदा उपकरणों का अधिक प्रभावी और नियमित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

- मीडिया और शिक्षा विभागों के बीच औपचारिक सहयोग स्थापित करना, ताकि सकारात्मक, यथार्थवादी और अधिकार-आधारित सामग्री का व्यापक प्रसार हो सके।

10. निष्कर्ष

NEP 2020 ने समावेशी शिक्षा को भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में स्थापित कर एक महत्वपूर्ण नीतिगत आधार तैयार किया है। इसके समानांतर, भारतीय सिनेमा ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और व्यक्तियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को दया और सहानुभूति से आगे बढ़ाकर स्वीकार्यता और सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय रूप से मोड़ा है। नीति और सिनेमा, दोनों मिलकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समान अवसर और गरिमापूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। फिर भी, नीति के आदर्शों को ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए पर्याप्त संसाधन, सतत शिक्षक-प्रशिक्षण और गहरे बैठे सामाजिक दृष्टिकोण में निरंतर परिवर्तन की आवश्यकता बनी रहेगी। समावेशी शिक्षा केवल कक्षाओं की चारदीवारी तक सीमित विषय नहीं है—यह एक व्यापक समावेशी समाज की नींव है, जहाँ प्रत्येक बच्चा, बिना किसी भेदभाव के, अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँच सके। आगे चलकर, नीति-निर्माताओं, फ़िल्मकारों, शिक्षकों और समाज के संयुक्त और निरंतर प्रयासों से ही भारत 'एक भी बच्चा पीछे न छूटे' के अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदल सकता है।

संदर्भ सूची (References)

- एंटनी, एल. (2025). *Screening difference: Charting the evolving representation of disability in Bollywood cinema*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17983339
- बासु, ए. (निर्देशक). (2012). *Barfi!* [फ़िल्म]. UTV Motion Pictures.
- बॉल्की, आर. (निर्देशक). (2009). *Paa* [फ़िल्म]. MAD Entertainment Ltd.
- बोस, एस. (निर्देशक). (2014). *Margarita with a Straw* [फ़िल्म]. Viacom18 Motion Pictures.
- डेब, एस. (2022). *Nuances of the unique and evolving conceptualisation of intellectual disability in India: A study of the changing artistic parlance of representing intellectually disabled people in mainstream Hindi cinema*. *British Journal of Learning Disabilities*. https://doi.org/10.1111/bld.12467
- ढिल्लों, एम., एवं भट्टाचार्य, एस. (2023). *Representations of mothers having children with disability in Hindi cinema: A feminist thematic analysis*. *Disability & Society*, *40*(2), 467–489. https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2287410
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग. (बिना तिथि). *Acts, rules & regulations: Rights of Persons with Disabilities Act, 2016*. भारत सरकार. https://depwd.gov.in/
- खान, ए. (निर्देशक). (2007). *Taare Zameen Par* [फ़िल्म]. Aamir Khan Productions.
- खान, ए. (निर्देशक). (2025). *Sitaare Zameen Par* [फ़िल्म]. Aamir Khan Productions.
- कुंडू, ए. (2025). *Challenging ableism and redefining normalcy: Disability narratives in Indian cinema*. *International Journal for Multidisciplinary Research*, *7*(3).
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. (2021–2030). *National guidelines and implementation framework on equitable and inclusive education*. NCERT.
- भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2020). *National Education Policy 2020*. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (बिना तिथि). *Samagra Shiksha scheme: Inclusive education component*. भारत सरकार.

- भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग. (बिना तिथि). *Learning for all: Equitable and inclusive education*. https://dsel.education.gov.in/en/inclusive-education
- भारत सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय. (2011). *Census of India 2011: Data on disability*. भारत सरकार.
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय. (2024). *Nipun Malhotra v. Sony Pictures Films India Private Limited* (Civil Appeal No. 7230 of 2024): Guidelines on portrayal of persons with disabilities in visual media.
- शिंदे, एस. (निर्देशक). (2018). *Hichki* [फ़िल्म]. Yash Raj Films.
- शिक्षक संस्थान. (2025). *Inclusion in ECCE: Provisions for children with disabilities under NEP 2020*. https://teachers.institute/
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, अधिनियम संख्या 49, 2016. (2016). भारत सरकार. https://www.indiacode.nic.in/
- संयुक्त राष्ट्र. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html